



Online Public Data Entry Summary

UKPDE2024090300472

DISTRICT NAME : टिहरी गढ़वाल SRO : जाखणीघाट

उत्तराखण्ड शासन

UKPDE2024090300472 From 16 Feb 2023

24-Sep-2024

12:26:55

Appointment Date: 24 Sep 2024

Appointment Time: 12:30 p.m to 01:30 p.m

Appointment TokenNo:3

Deed/Article Type : Lease

Sub-Deed/Sub-Article : Lease(Not Exceeding 30 years)

Village/Location For Index : खान्दी -B.4.जाखणीघाट-गराकोट मोटर मार्ग

Village/Location/Road Selected for Circle RateList : खान्दी -B.4.जाखणीघाट-गराकोट मोटर मार्ग

Khewat :

Khatoni :

00053 00001

Khasra :

486 M 487 488 489 491 492 493 494 234

House/Flat No:

Area : 3,000.0000 वर्ग मीटर

Latitude :

Longitude : 0.0000000000

Land Value : 0.00

Construction Value : 0.00

Transaction Value : 0.00

Market Value : 0.00

Advance : 0.00

Lease Period : 27.00

Avg. Rent :

5,730.27

Stamp Duty : 8,300.00

Regn Fees : 4,140.00

Pasting Fees : 100

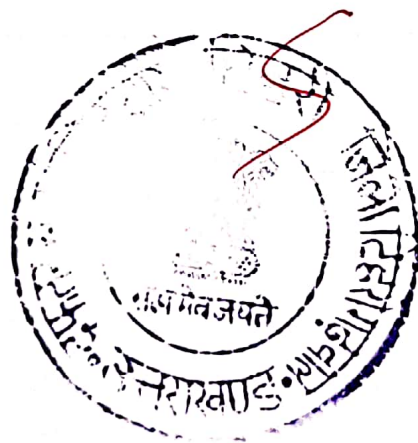
Page :

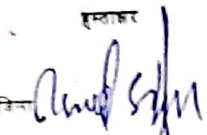
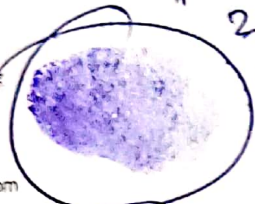
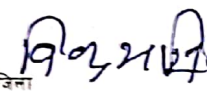
22

व्यवसायिक निर्माण का विवरण					
क्र.सं	निर्माण का प्रकार	क्षेत्रफल			
आवासीय निर्माण का विवरण					
क्र सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तल	हास वर्ष	रकबा
निबंधक शुल्क का विवरण					
क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक		
1	Cash	4,140.00			
स्टाम्प शुल्क का विवरण					
क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक	आती दिनांक	स्टाम्प विक्रेता आईडी
1	e-Stamp	8,300.00		24-Sep-2024	15

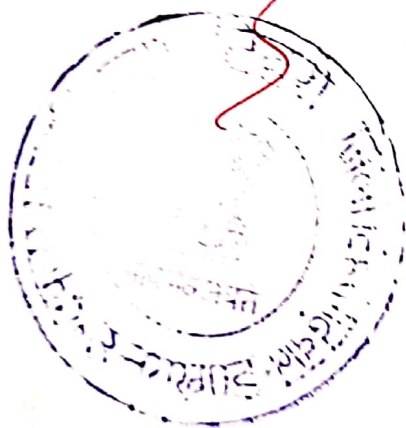
20
डिसेम्बर

Sahel



पञ्चकारों का विवरण		हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	मोबाइल नं	पञ्चकार पत्र संख्या
विधेता / पञ्चम पक्ष	पञ्चकार का विवरण					
विधेता / पञ्चम पक्ष	श्री उमेश सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह निवासी ग्राम-खान्दो, पट्टी-खाम, तहसील-जाखणीधार, जिला दिल्ली राइबान उत्तराखण्ड Email umedsingh07@gmail.com		Self employed		8954021138	ADHAAR 830201408030 ✓
विधेता / पञ्चम पक्ष	श्रीमती दिप्ता देवी पत्नी श्री होशियार सिंह निवासी ग्राम-खान्दो, पट्टी-खाम, तहसील-जाखणीधार, जिला दिल्ली राइबान उत्तराखण्ड Email :panoham@gmail.com		House wife		8439229036	ADHAAR 297600881422 ✓
वेता / द्वितीय पक्ष	श्री सुषिमा सिंह पत्नी श्री योगेन्द्र सिंह निवासी-म.नं.००१, मेन म.००२, तपोवन एम्प्लेड, रायपुर रोड, आमवाला, तराई देहरादून जिला देहरादून उत्तराखण्ड द्वारे मुक्तारोआम माहिल गंगा पुत्र श्री धर्मपाल सिंह राणा निवासी १४२, डम्टन गंव, कुम्भीचौड पोड़ी राइबान उत्तराखण्ड Email :rishurana@gmail.com		Self employed		9149185615	ADHAAR 320291581290 ✓
पञ्चम	श्री बिक्रम सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह निवासी ग्राम-खान्दो, पट्टी-खाम, तहसील-जाखणीधार, जिला दिल्ली राइबान उत्तराखण्ड		Self employed		9897501756	ADHAAR 480529151389 ✓
पञ्चम	श्री सुमित मैत्री पुत्र श्री मनीश कुमार निवासी C/4, निजामपुर, हरिद्वार जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड		Self employed		9675988009	ADHAAR 278921295430 ✓

Deed Writer / Advocate Name : D.Dumoga Adv.



भारत सरकार
Government of India

सुरक्षा चिह्न

Issue Date: 01/12/2013



नाम: UNRICO SINGH
जन्म तिथि/DOB: 01/12/1962
लिंग/ GENDER: MALE

Signature

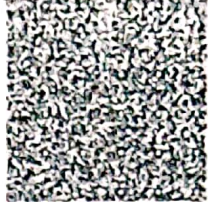
8302 0140 8030
VID : 9194 7730 6801 4286

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

सुरक्षा चिह्न

पता: C/O: Chandan Singh, khandi may maroda, Kumardhar Maya Maroda, Tehri Garhwal, Uttarakhand - 249123



8302 0140 8030
VID : 9194 7730 6801 4286

1947 | Help @ uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

भारत सरकार
Government of India

सुरक्षा चिह्न

Issue Date: 23/07/1959



नाम: Dilla Devi
जन्म तिथि/DOB: 23/07/1959
लिंग/ GENDER: FEMALE

Signature

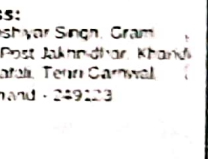
2976 0088 1422

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

सुरक्षा चिह्न

पता: W/O हशियार सिंह, ग्राम खन्दी, नन्दा कुम्हारिया, खन्दी पोस्ट, जखमधर, खन्दी पोस्ट, तेरि गढ़वाल, उत्तराखण्ड - 249123



2976 0088 1422

1947 | Help @ uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

भारत सरकार
Government of India

सुरक्षा चिह्न

Issue Date: 09/10/2001



नाम: Sahil Rana
जन्म तिथि/DOB: 09/10/2001
लिंग/ GENDER: MALE

Signature

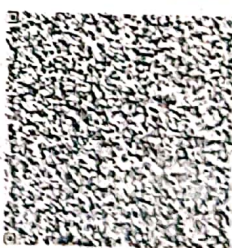
3202 9158 1290
VID : 9187 6459 6932 2125

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

सुरक्षा चिह्न

पता: S/O: Charampal Singh Rana, 142, grastan junj, Kumbhichaur, Pauri Garhwal, Uttarakhand - 246149



3202 9158 1290
VID : 9187 6459 6932 2125

1947 | Help @ uidai.gov.in | www.uidai.gov.in



भारत सरकार
Government of India



Issue Date : 05/09/2013



विक्रम सिंह
VIKRAM SINGH
जन्म तिथि / DOB : 15/05/1983
पुरुष / Male

Vikram Singh

4605 2915 1389

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India



Print Date : 16/07/2023

पता: जाखणीधार, खांदी मय मरोडा, खंडी माया
काफाली, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड, 249123



Address: JAKHNI DHAR, khandi may
maroda, Khandi Maya Kafali, Tehri
Garhwal, Uttarakhand, 249123

4605 2915 1389



1947



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in



भारत सरकार
Government of India



Issue Date : 22/02/2014



सुमित सैनी
Sumit Saini
जन्म तिथि/DOB: 06/07/1998
पुरुष/ MALE

Sumit Saini

2789 2129 5430

VID : 9170 5987 1646 0133

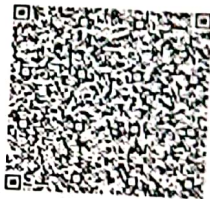
मेरा आधार, मेरी पहचान



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India



पता:
S/O सतीश कुमार, 85, निजामपुर, निजामपुर, हरिद्वार,
उत्तराखंड - 247670



Address:
S/O Satish Kumar, 85, nizampur, Nizampur,
Haridwar,
Uttarakhand - 247670

2789 2129 5430

VID : 9170 5987 1646 0133



1947



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in



Scanned with OKEN Scanner



सत्यमेव जयते



IN-UK46841727038197W

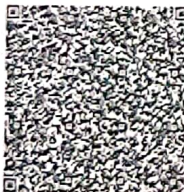
INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

₹8,300

e-Stamp

Certificate No. : IN-UK46841727038197W
Certificate Issued Date : 24-Sep-2024 12:16 PM
Account Reference : NONACC (SV)/ uk1229604/ TEHRI/ UK-TG
Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK122960400660154673122W
Purchased by : SMT PURNIMA SINGH THROUGH ATTORNEY SAHIL RANA
Description of Document : Article 35 Lease
Property Description : VILL-KHANDI PATTI-KHAS TEHRI GARHWAL
Consideration Price (Rs.) : 0
 (Zero)
First Party : UMMED SINGH AND SMT DILLA DEVI
Second Party : SMT PURNIMA SINGH THROUGH ATTORNEY SAHIL RANA
Stamp Duty Paid By : SMT PURNIMA SINGH THROUGH ATTORNEY SAHIL RANA
Stamp Duty Amount(Rs.) : 8,300
 (Eight Thousand Three Hundred only)



Please write or type below this line

दुर्गा प्रसाद उन्निवाल
 स्टाम्प विक्रेता
 कोर्ट कम्पासण्ड नई दिल्ली



Uned C/W

हेतुव सिंग दुर्गा प्रसाद
 एडवोकेट
 चेम्बर नं०-05, मो.-9412077730
 कोर्ट कम्पासण्ड नई दिल्ली
 पंजी-UK-2234/04, UP-11-2002

हेतुव सिंग दुर्गा प्रसाद
 एडवोकेट
 चेम्बर नं०-05, मो.-9412077730
 कोर्ट कम्पासण्ड नई दिल्ली
 पंजी-UK-2234/04, UP-11-2002

HE 0025383299

Statutory Alert.

- 1 The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shorstamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
- 2 The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
- 3 In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

SHCIL

Verified & Locked

Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence."

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."

पट्टा विलेख Lease Deed

यह पट्टा विलेख (इसके बाद पट्टा या पट्टा विलेख कहा जायेगा) सितम्बर 2024 माह के 24 वें दिन उप निबन्धक कार्यालय नई टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड में पक्षकारान के बीच निम्न प्रकार निष्पादित किया जायेगा।

उमेद सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह (Adhar no. 830201408030) (Mob.8954021138), निवासी-ग्राम-खांदी, पट्टी खास, तहसील-जाखणीधार, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड पिन-249123, एवं श्रीमती दिल्ला देवी पत्नी श्री होशियार सिंह (Adhar no. 297600881422) (Mob-8439229036), निवासी-ग्राम-खांदी, पट्टी खास, तहसील जाखणीधार, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड इसके बाद इन्हें पट्टेदाता/लीज दाता/प्रथम पक्ष कहा जायेगा जिनकी व्याख्या में जब तक सन्दर्भ से परे न हो उनके कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और प्रथम पक्ष के अनुमत नियुक्त होंगे।

एवं

श्रीमती पूर्णिमा सिंह पत्नी श्री योगेन्द्र सिंह, निवासी-म0सं0-09, लेन सं0-02, तपोवन एन्क्लेव, रायपुर रोड़, आमवाला, तरला, देहरादून जिला देहरादून उत्तराखण्ड द्वारा मुख्तारआम साहिल राणा पुत्र श्री धर्मपाल सिंह राणा, निवासी-142,ग्रस्तन गंज, कुम्भीचौड़, पौड़ी गढ़वाल (Adhar No-320291581290) (Mob-9149185615)-जिसे इसके बाद इन्हें पट्टेदार/लीज प्राप्त कर्ता/द्वितीय पक्ष कहा जायेगा जिनकी व्याख्या में जब तक सन्दर्भ से परे न हो उनके कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और प्रथम पक्ष के अनुमत नियुक्त होंगे, पट्टेदार श्रीमती पूर्णिमा सिंह द्वारा साहिल राणा को उक्त लीज करने हेतु अपना मुख्तारआम नियुक्त किया गया है तथा मुख्तारनामा उप निबन्धक देहरादून तृतीय की बही सं0-04, जिल्द सं0-605 के पृष्ठ सं0-59 से 76 पर क्रमांक 1425 पर दिनांक 28.08.2024 को पंजीकृत है, मुख्तारदाता जीवित है तथा उनके द्वारा उक्त मुख्तारनामा खण्डित नहीं किया गया है तथा मुख्तारनामों में प्रदत्त अधिकार व शक्तियों का प्रयोग करते हुये पट्टा विलेख का निष्पादन किया गया है।

8-6
दिल्ला देवी
[Signature]
[Signature]

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 390 वर्ष 2024

Lease	नजराना रु0 : 0.00
Lease(Not exceeding 30 years)	औसत वार्षिक
	किराया रु0 : 0.00
रजिस्ट्रेशन शुल्क रु0 4140.00	प्रतिलिपि शुल्क रु0 100.00
इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क रु0 220.00	कुल योग रु0 4460.00
	शब्द लगभग 1000

श्री पूर्णिमा सिंह पत्नी श्री योगेन्द्र सिंह निवासी-म०सं०-०९, लेन सं०-०२, तपोवन एन्क्लेव, रायपुर रोड, आमवाला, तरला देहरादून जिला देहरादून उत्तराखण्ड द्वारे मुह्तारेआम साहिल राणा पुत्र श्री धर्मपाल सिंह राणा निवासी १४२, ग्रस्टन गंज, कुम्भीचौड पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड ने आज दिनांक 24 Sep 2024 समय मध्य 1PM व 2PM को कार्यालय उपनिबन्धक जाखणीधार मे प्रस्तुत किया।



पूर्णमा सिंह पत्नी श्री योगेन्द्र सिंह
निवासी-म०सं०-०९, लेन सं०-०२, तपोवन

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
उपनिबन्धक
जाखणीधार
24-Sep-2024

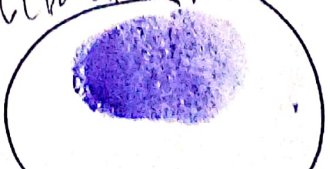
इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री उमेद सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड। श्रीमती दिल्ला देवी पत्नी श्री होशियार सिंह निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड। ने नजराना मुबलिग रु0 0.00 प्रलेखानुसार पाकर निष्पादन स्वीकार किया। इस लेखपत्र का निष्पादन द्वितीय पक्ष श्री पूर्णिमा सिंह पत्नी श्री योगेन्द्र सिंह निवासी-म०सं०-०९, लेन सं०-०२, तपोवन एन्क्लेव, रायपुर रोड, आमवाला, तरला देहरादून जिला देहरादून उत्तराखण्ड द्वारे मुह्तारेआम साहिल राणा पुत्र श्री धर्मपाल सिंह राणा निवासी १४२, ग्रस्टन गंज, कुम्भीचौड पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड। ने भी स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड तथा श्री सुमित सैनी पुत्र श्री सतीश कुमार निवासी ८५, निजामपुर, हरिद्वार जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड ने की।



[Handwritten signature]
उपनिबन्धक
जाखणीधार
24-Sep-2024

1. यह कि प्रथम पक्ष/पट्टेदाता/लीज दाता ने ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड के खतौनी खाता संख्या 00053 फसली वर्ष 1428-1433 में दर्ज खेत संख्या 486 मध्ये रक्वा 0.021 हे०, खेत सं०-487 रक्वा 0.066 हे०, खेत सं०-488 रक्वा 0.020 हे० व खेत सं०-489 रक्वा 0.019 हे०, खेत सं०-491 रक्वा 0.029 हे०, खेत सं०-492 रक्वा 0.034 हे०, खेत सं०-493 रक्वा 0.030 हे० कुल खेत 7 कुल रक्वा 0.219 हे० याने 2190 वर्ग मीटर भूमि स्वामी श्रीमती दिल्ला देवी व खतौनी खाता सं०-00001 में दर्ज खेत सं०-494 रक्वा 0.050 हे०, खेत सं०-234 रक्वा 0.031 कुल खेत 2 कुल रक्वा 0.081 हे० याने 810 वर्ग मीटर भूमि स्वामी उमेद सिंह दोनों खातों का कुल रक्वा 0.300 हे० याने 3000 वर्ग मीटर पट्टेदाता/प्रथम पक्ष मालिक सहभूमिधर व कब्जेदार स्वामी है उक्त भूमि को नीचे दी गई शर्तों व निबन्धन के अनुसार उक्त भूमि को पट्टे पर देने के लिए सहमत है, उक्त भूमि 27 साल के पट्टे पर लेना स्वीकार कर लिया है तथा पट्टेदार उत्तराखण्ड वैकल्पिक ऊर्जा अभिकरण (UREDA) के द्वारा 200 कि०वा० सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के सम्बन्ध में आवेदन किया गया है तथा सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के प्रयोजन से उक्त भूमि को पट्टे पर ले रहा है, यदि सोलर प्लांट आवंटित नहीं होता है तो पक्षकारान उक्त पट्टा विलेख को समर्पण कर देंगे।
2. यह कि पट्टा दिनांक 24.09.2024 से प्रारम्भ होकर 23.09.2051 याने 27 वर्ष के लिए रहेगा उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी पट्टेदार को उक्त भूमि की आवश्यकता होगी, तो आपसी समझौते पर पट्टा बढ़ाया जायेगा। पट्टेदार मु० 4200 रु० प्रतिनाली (लगभग 200 वर्ग मीटर) प्रतिवर्ष की रकम पर उक्त भूमि को पट्टा/किराये पर ले रहा है, यह किराये राशि 10 वर्ष होगी तथा 10 वर्ष के पश्चात् किराया पट्टा राशि 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से प्रत्येक 10 वर्ष में वृद्धि की जायेगी, पट्टेदार उक्त भूमि/सम्पत्ति को इस अनुबन्ध के समाप्त होने के पश्चात् अर्थात् 27 वर्ष होने के पश्चात् फिर उपयोग के लिए चाहेंगे, तो प्रथम पक्ष/पट्टादाता की सहमति के उपरान्त कर सकेंगे। अन्यथा भूमि खाली की जायेगी।

Amud Singh 9-6-2024

Sahni

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 390 वर्ष 2024



उमेश सिंह

उमेश सिंह



दिल्ला देवी



पूणिमा सिंह पत्नी श्री
योगेन्द्र सिंह

निवासी-म०सं०-०९,



बिक्रम सिंह

बिक्रम सिंह



सुमित सैनी

सुमित सैनी



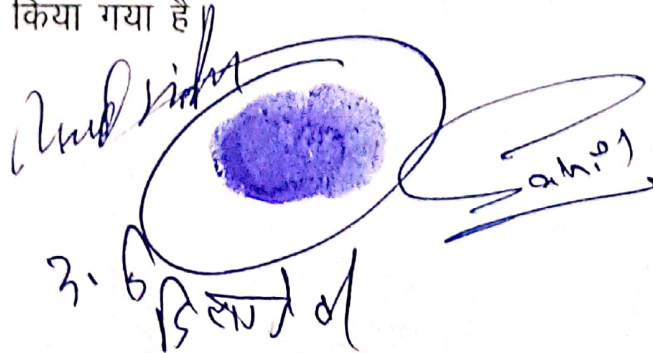
प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक जाखणीधार

24 Sep 2024



3. यह कि दोनों पक्षों द्वारा उक्त पट्टे पर दी गई भूमि का वार्षिक किराया वर्तमान में 4200 रु० प्रतिनाली (लगभग 200 वर्ग मीटर) प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है, प्रथम 10 वर्ष के लिए 6,30,000 रु०, द्वितीय 10 वर्ष के लिए 6,93,000 रु० तथा अन्तिम 7 वर्ष के लिये 5,33,610 रु० याने कुल 27 वर्ष का किराया मु० 18,56,610 रु० तथा औसत वार्षिक किराया 68,763.33 रु० होता है तथा प्रतिमाह औसत किराया 5730.27 रु० होता है।
4. यह कि पट्टे पर दी गई भूमि से सम्बन्धित कोई कर या अन्य परिभार समय-समय पर जो कि किसी भी अवधि के लिए देय होगा, पट्टेदार द्वारा अदा किया जायेगा, पट्टेदार अपने नाम से उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन, जल संयोजन व अन्य उपयोग के कनेक्शन इत्यादि व सौन्दर्यकरण करवा सकता है।
5. यह कि पट्टे पर दी गई भूमि का पट्टेदार को वैधानिक रूप से सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए जैसे चाहे इस्तेमाल, उपयोग, उपभोग करने का अधिकार होगा तथा उक्त भूमि पर पट्टेदार को किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत या व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का सामान आदि रखने किसी प्रकार का स्थाई निर्माण तथा किसी भी प्रकार की लोडिंग, अनलोडिंग आदि करने का अधिकार होगा।
6. यह कि पट्टेदार को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उक्त वैकल्पिक सोलर पावर प्लांट लगाये जाने हेतु 25 वर्ष के लिए स्वीकृति मिल चुकी है।
7. यह कि पट्टादाता एवं पट्टेदार को पट्टा अनुबन्ध की अवधि के दौरान अनुबन्ध को ऋणदाता बैंक की अनुमति के बिना समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। पट्टादाता उक्त भूमि को उक्त अवधि के दौरान विक्रय नहीं कर सकेंगे।
8. यह कि उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 1406/XVIII(II)2019-20(78)2018 द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदार और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) की धारा-150(क) एवं धारा 156 का संशोधन अध्यादेश दिनांक 18.11.2019 के अनुसार भूमि लीज पर दिये जाने का प्राविधान किया गया है।


3. 6 दिसंबर 2019



9. यह कि लीजशुदा भूमि का वार्षिक औसत किराया मु0 68,763.33 रु0 है तथा उक्त किराया के 6 गुना मु0 4,13,000 रु0 पर निर्धारित स्टाम्प शुल्क मु0 8300 रु0 अदा किया गया है।
10. यह कि इस पट्टे विलेख में बताये गये अनुसार पट्टादाता यह पुष्टि करता है कि पट्टेदार को परियोजना व इस पट्टे विलेख में दी गई जमीन के पट्टा अधिकारों को किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने व किसी भी सिक्युरिटी/गिरवी रखने के लिये पट्टेदाता से अनुमति या अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करने की कोई जरूरत नहीं होगी और इस पट्टे में पट्टेदार के अधिकार एवं हित ऋणदाताओं के पक्ष में कर सकता है, जिनमें उनके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, हस्तांतरण, और नियुक्त सम्मिलित है, (परियोजना के लिये ऋणदाता और पट्टेदार इस परियोजना के लिये हासिल किये गये या हासिल किये जाने वाले ऋण के भुगतान के लिये एक सिक्युरिटी के रूप में रख सकेगा, हालांकि परियोजना के ऋणदाताओं या पट्टेदार का कोई भी अधिकार पट्टे की अवधि से अधिक नहीं होगा जब तक की दोनों द्वारा इसे विस्तारित करने के लिये लिखित में कोई घोषणा नहीं होती है,) पट्टेदाता परियोजना के लिए पट्टेदार के द्वारा लिये गये किसी भी ऋण के लिये जिम्मेदार नहीं होगा, पट्टेदार के पास भूमि पार्सल का स्वामित्व एवं स्वामित्व अधिकारों को गिरवी रखने का अधिकार नहीं है, परन्तु उसके पास भूमि पार्सल पर इस पट्टे के अधिकारों को गिरवी रखने का हक हासिल है, पट्टे की समाप्ति के उपरान्त पट्टेदार एवं उसके ऋणदाताओं का भूमि पार्सल पर कोई अधिकार नहीं होगा, भूमि पर बैंक से पट्टादार ऋण ले सकता है।
11. यह कि पट्टादाता के द्वारा पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) से सम्बन्धित भूमि के सापेक्ष उस पर प्रस्तावित/स्थापित 200 कि०वा० क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रके विरुद्ध बैंक ऋण बकाया होने की अवधि तक या भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) विद्यमान रहने की अवधि तक, जो भी अधिक हो, किसी भी प्रकार का कोई अन्य ऋणभार (Encumbrance) पट्टादाता के द्वारा नहीं लिया जायेगा।

Land Shu
Sah?
रिजिस्ट्रार



12. यह कि पट्टादाता एवं पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) ऋण के बकाया होने की तिथि तक उस बैंक, जिसके द्वारा पट्टेदार को 200 कि०वा० क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिये ऋण उपलब्ध कराया गया है, की सहमति के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता है। तथापि ऋणदाता बैंक के द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण के समाप्त हो जाने के उपरान्त यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) पट्टादाता एवं पट्टेदार की आपसी सहमति से समाप्त किया जा सकता है।
13. यह कि पट्टादाता एवं पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) दिनांक 24.09.2024 से प्रारम्भ होकर 23.09.2051 याने 27 साल की अवधि तक वैध होगा एवं इसमें दी गयी विभिन्न शर्तें दोनों पक्षों पर लागू होंगी।
14. यह कि यदि ऋणदाता बैंक के द्वारा पट्टेदार को Defaulter घोषित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में ऋणदाता बैंक इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) को किसी अन्य पक्ष को नियमानुसार प्रतिस्थापित कर सकता है।
15. यह कि पट्टादाता का प्रस्तावित/स्थापित 200 कि०वा० क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों पर किसी भी प्रकार को कोई हक/अधिकार नहीं होगा।
16. यह कि पट्टादाता एवं पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) से सम्बन्धित विवरण संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।
उक्त भूमि की सीमायें निम्न से घिरी हुई हैं:-
पूर्व:- सुरेन्द्र दत्त/गोविन्द राम की भूमि।
पश्चिम:- रास्ता।
उत्तर:- सूर्य प्रसाद की भूमि।
दक्षिण:- गुलाब सिंह की भूमि।

महेश कुमार

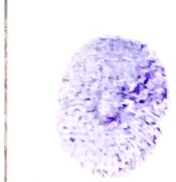
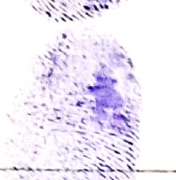
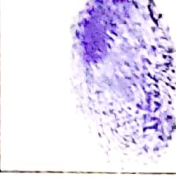
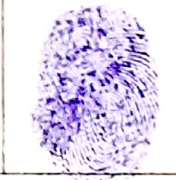
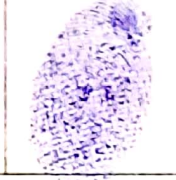


21.6.2024

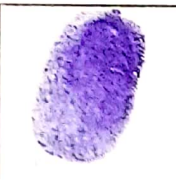
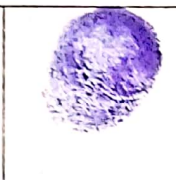
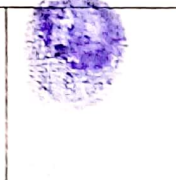
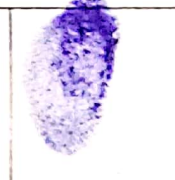
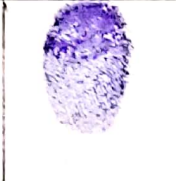
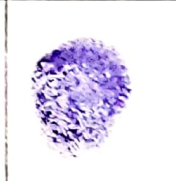
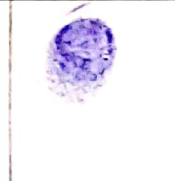
Sahni



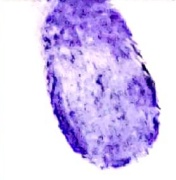
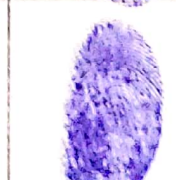
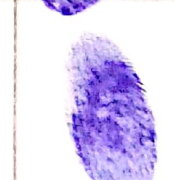
प्रथम पक्ष/पट्टा दाता (उमेश सिंह) की उंगलियों की छाप-

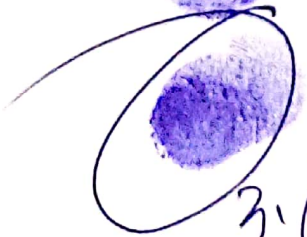
दाये हाथ की अंगुलियों के निशान					
बाये हाथ हाथ की अंगुलियों के निशान					

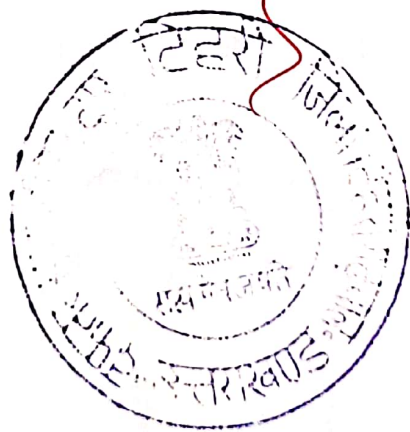
प्रथम पक्ष/पट्टा दाता (श्रीमती दिल्ला देवी) की उंगलियों की छाप-

दाये हाथ की अंगुलियों के निशान					
बाये हाथ हाथ की अंगुलियों के निशान					

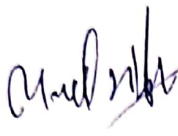
द्वितीय पक्ष/पट्टाग्रहीता की उंगलियों की छाप-

दाये हाथ की अंगुलियों के निशान					
बाये हाथ हाथ की अंगुलियों के निशान					

 Anil Singh
3.6.2021



अतः आज दिनांक 24.09.2024 को इस अनुबन्ध को करने वाले पट्टादाता/पट्टेदार निम्न गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर करके निष्पादित किया जाता है।


ह0 प्रथम पक्ष/पट्टादाता


ह0 द्वितीय पक्ष/पट्टेदार

रचियता

देवेन्द्र दुमोगा

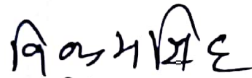
एडवोकेट

देवेन्द्र सिंह दुमोगा

एडवोकेट

चेम्बर नं०-05, नो.-9412076539
कोर्ट कम्पाउण्ड नई दिल्ली
नंजी-UK-2234/04, UP-1149/92

गवाह



1. बिक्रम सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह, निवासी-ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

आधार नं०-460529151389

Mob.9897501756

2. सुमित सैनी पुत्र श्री सतीश कुमार, निवासी-85, निजामपुर, हरिद्वार जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड।

आधार नं०- 278921295430

Mob. 9675988009

बही संख्या 1 जिल्द 66 के पृष्ठ 263 से 284 पर क्रमांक 390 पर आज दिनांक
24 Sep 2024 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

Haini
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, जाखणीधार
24 Sep 2024

